कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी

पत्रांक : मान्यता / 14542-51 / 2017–18 दिनांक– 28.02.2018

प्रबन्धक,
लखनऊ पब्लिक इण्टरनेशनल स्कूल,
बड़ेल बाहर सीमापार, बंकी–बाराबंकी।

विषयः निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन हेतु उ0प्र0 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम 11 उपनियम 4 के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय,

आपके आवेदन पत्र और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार / निरीक्षण एवं शासनादेश संख्या 419/79–6–2013–18एस (20)/91 दिनांक 08.05.2013 तथा सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद के अनुमोदन दिनांक 16.02.2018 के प्रतिनिर्देश से मैं आपके विद्यालय को कक्षा नर्सरी से कक्षा 08 तक (अंग्रेजी माध्यम) हेतु दिनांक 01.03.2018 से दिनांक 28.02.2021 तक 03 वर्षो की अवधि के लिए औपबंधिक मान्यता का प्रदान किया जाना सम्प्रेषित करता हूँ–

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अध्याधीन है :–

1. मान्यता के लिए स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और यह किसी भी रूप में कक्षा 08 के बाद मान्यता / सम्बद्वता प्रदान करने के दायित्व को विवक्षित नहीं करता है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (संलग्नक–1) और उ0प्र0 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 (संलग्नक–2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय नर्सरी से कक्षा 08 में (या यथास्थिति कक्षाओं में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्ग और साधनहीन समूह के बालकों को प्रवेश देगा और इनकी शिक्षा पूर्ण होने तक निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराएगा। परन्तु अग्रेतर यह कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इस सन्नियम का पालन किया जायेगा।
4. प्रस्तर 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय यदि अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन आच्छादित हो तो विद्यालय को तदनुसार प्रतिपूर्ति दी जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्तियां को प्राप्त करने के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता उपलब्ध कराएगा।
5. समिति / विद्यालय कोई प्रति व्यक्ति संग्रह नहीं करेगा और बालक अथवा उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय प्रवेश से वंचित नहीं करेगा–

(क) बालक का आयु प्रमाण–पत्र न होने पर।

(ख) धर्म, जाति अथवा नस्ल, जन्म स्थान अथवा उनमें से किसी आधार पर।